

27/01/16

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत

संख्या-

428

111(2)/16-14(मु0मं0घो0)/2015

244

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
प्रमारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।प्रमुख अभियन्ता
लो० वि० वि०

देहरादून दिनांक: 23 जनवरी, 2015

लोक निर्माण अनुभाग-2

विषय-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्त
विभिन्न 90 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि
उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उप
कराये गये विभिन्न 90 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 509.15 किमी0 + 30 सेतु तथा ल
र 4404.25 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत र 4404.25 लाख (र चवालीस र
चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-
संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य र 0.10 लाख अर्थात् कुल 90 कार्यों हेतु र
लाख (र नौ लाख मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की माननीय श्री राज्यपाल निम्न
शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया
तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सानान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्था
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना
पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित
जो दरें बैंडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर निय
अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय व
किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन
आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्मा
द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद
मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोद्योगिकी रुल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-
निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के
भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-
निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0पी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों व
यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखापीरिशंक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत गरिव्य-04 जिल
सड़कें-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 र
कार्य में विभागीय आय-व्यय में प्राविधानित निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा

Photo Copy Attached

सहायक अभियन्ता

30 खो लो० नि० वि०
बरीनाग (पिथौरागढ़)

- (ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- (x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।
- (xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।
- (2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीरक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- (3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-834/XXVII(2)/2015 दि०-20 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव

संख्या:- (1)/111(2)/16-14(मु०मं०घो०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

photo copy attested

(मु०)
सहस्रक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
देहरादून (मिथौरागढ़)

आज्ञा से,

(एण्सेपपांगती)
उप सचिव

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	कुल स्वीकृत लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1123/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत इमला से गांधीनगर अनु. जाति बस्ती से कोट खरीक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	15.00+ 1 No.	258.84	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1125/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत चौना से सराड़ी मंदिर मालुपाती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00 + 1 No.	28.00	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-76/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत रामगंगा नदी पर विसमन्या में 100 मी. विस्तार झूला पुल का निर्माण।	100 mtr.	5.00	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1126/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत डांगरी पुल से बसानी तक 03 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	3.00	12.72	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1121/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत सेरा से खरतोली तक 08 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00	94.40	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1389/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत घामी भैंसकोट में सुवालेख, लेग दुदधार तक 02 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	8.48	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1107/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत बनार में झूलापुल का निर्माण कार्य।	60 mtr.	2.40	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1124/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत मदकोट से रोपाड होते हुए राप्ती तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	59.00	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1120/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत बसन्तकोट से डंगडंगधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00 + 10 mtr	29.98	0.10
10	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1388/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत फगुवा से माणीतोक तक मोटर मार्ग के निर्माण का कार्य।	8.00 + 1 Bridge	38.72	0.10
11	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1122/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकासखण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत देवीबगड से चमराड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	7.00	82.60	0.10

सहायक अभियन्ता
अ० ख० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

शासनादेश संख्या:- 428 / 111(2)/16-14(मु0म0घ00)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1409/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम नापड़ नौलीबगड़ में आर.सी.सी. पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	12 mtr.	17.28	0.10
25	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1146/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत छिपलाकेदार हेतु रास्ते का निर्माण कार्य।	30.00	83.04	0.10
26	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1137/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के अन्तर्गत खेला से स्यांकुरी ग्राम का पैदल सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण का कार्य।	5.00	56.67	0.10
27	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1410/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-धारचूला के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत ग्राम सभा खतेड़ा में रोड़ तोक के लिए आर.सी.सी. पैदल पुलिया का निर्माण कार्य।	12 mtr.	0.48	0.10
28	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1282/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत मड़कनाली से सुरखाल पाठक तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00	59.00	0.10
29	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1112/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत रीठा रीठोली से मुवानी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00 + 1 Bridge	65.88	0.10
30	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1085/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत देवराडीपन्त से काकडपानी सीमा बासुकी नाम पर्यटक स्थल तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	12.00	50.88	0.10
31	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट-सैनधल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का कार्य।	4.00	184.00	0.10
32	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का कार्य।	8.00	98.27	0.10
33	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1710/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत लछैर से कटियानी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	12.00	55.20	0.10
34	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1722/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत मडमानले से रोछडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.00	23.00	0.10
35	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1351/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सतगढ़ धर्मशाला तक 04 किमी. मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	4.00	155.20	0.10
36	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1708/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत चमूबैण्ड से चौबाटी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	15.00 + 1 Bridge	92.10	0.10
37	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1332/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-डीडीहाट के अन्तर्गत मिर्छी बाजार से रातल मिर्छी-मल्ला मिर्छी से लघड़ा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	7.00 + 1 Bridge	141.40	0.10

Photo copy Attested


सहायक

शासनादेश संख्या- 428 / 111(2)/16-14(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक 23 जनवरी, 2016 का संलग्नक

89	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1518/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत भण्डारगांव मेंल्टा से पुनध्याड़ी दूनागिरी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण एवं 9 मी. विस्तार आर.सी.सी. मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	6.00+ 9 mtr.	32.22	0.10
90	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-1798/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र- द्वाराहाट के अन्तर्गत मौंसी पुल पार से योगता परथोला अफो (केदार) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	9.00	43.02	0.10
योग:-		509.15 + 30 Brg	4404.25	9.00

(कुल ₹ नौ लाख मात्र)

Photo copy Attested

(ए0एस0पांगती)

उप सचिव

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 ला0 नि0 वि0
बेरीनाग (विथौरामदे)